F. No:-13/274/2017-MsDP-MoMA Government of India Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. DeenDayal AntyodayaBhavan, C.G.O. Complex, Lodi Road, NewDelhi-110003, Dated:-20 /03/2019,

To

The Pay & Accounts Officer, Ministry of Minority Affairs, Pt. DeenDayal AntyodayaBhavan, New Delhi

Subject: Grant in aid under the Centrally Sponsored Scheme of Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (erstwhile MsDP) for Minority Concentration Areas (MCAs) to Government of Rajasthan for the year 2017-18 during 2018-19 for Alwar District.

Sir.

In continuation to this Ministry's sanction letter No.MsDP-13/274/2017-MsDP-MoMA dated 27.09.17. I am directed to convey the sanction of the President for release of total amount of Rs.4,88,50,000/-(Rupees Four Crore Eighty Eight Lakh Fifty Thousand only) as 2nd instalment to the Govt. of Rajasthan for implementing the scheme "Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (erstwhile MsDP) for Minority Concentration Areas" in Alwar District for the year 2017-18 during 2018-19 as per the details enclosed at Annexure -I. The non-recurring grant may be released to the Govt. of Rajasthan through CAS, Reserve Bank of India, Nagpur.

- 2. The expenditure is debitable to Demand No.66, Ministry of Minority Affairs Major Head- "3601" Grant-in-aid to State Government, 06- Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head), 101 -General-(Welfare of Schedule Casts/Schedule Tribes, Other Backward Classes and Minorities) -other grants (Minor Head), 49 Multi sectoral Development Programme for minorities, 49.00.35 Grant for creation of capital assets the year 2018-19.
- 3. The State Government should ensure that proportionate share of 50% of State share for the projects mentioned at Annexure-I is released to the implementing agency alongwith Central share.
- 4. The sanction is issued on the commitment given by the State Govt. that villages/locations having a substantial minority population will be/have been selected for the projects mentioned at Annexure-I and also that duplication will not take place.
- 5. A copy of the Utilization certificate of 1st instalment is enclosed. Further it is certified that no UC is pending for this project.
- 6. Utilization of the above mentioned amount by the State Government is subject to the terms and conditioned at Annexure-II.
- 7. Utilization Certificate for this grant should be submitted by the grantee in the prescribed format within 12 months of the closure of financial year. As per the conditions contained in para 12.5 of the guideline of Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (erstwhile MsDP), (i) Quarterly Progress Report, (ii) Utilization Certificate (UCs), (iii) Report regarding release of the State share in case of innovative projects and (iv) Photographs of the Asset so far created will also be furnished.

Ministry of Minority Affairs भारत संरकार/Govt, of India नई दिल्ली/New Delhi

- 8. The State Government should ensure that a board containing information as per Template enclosed at Annexure-III is displayed at the site. After completion of projects, a permanent display would be installed.
- 9. This is to certify that the present sanction/ expenditure is covered under MEP for the month of March, 2019 and Integrated Finance Division (IFD) has approved the expenditure during the Fourth quarter of the financial year 2018-19.
- 10. Funds should be released by the State Govt. to the implementing agencies immediately upon receipt of the same from Govt. of India and as per the directions of Govt. of India, Ministry of Finance; parking of funds at any level is strictly prohibited.
- 11. This sanction issues with concurrence of IFD Note No. 37 of File No. MsDP-13/274/2017-MsDP-MoMA dated 20.03.2019. It is noted at S.No.170 in the Grant-in-aid Register.

Yours faithfully,

Deputy Secretary to the Govt. of India

गरत सर नई दिल्लामारका Delhi

Copy to:-

1. The Accountant General, Rajasthan.

2. Manager Reserve Bank of India, Central Account Section, Nagpur-440001.

3. Secretary, Minority Affairs & Madrasah Education Department, Govt. of Rajasthan.

4. Secretary, Finance Department, Govt. of Rajasthan,

5. Director General of Audit, Central Revenues, AGCR Building, New Delhi-2.

6. District Magistrate/Collector, District Alwar, Rajasthan.

7. Sanction folder.

8. MoMA-NIC Computer Cell (Shri NaeemAhmed, Senior Technical Director) for website updation.

Deputy Secretary to the Governor Indias

Summary of projects of Alwar (Rajasthan) district approved by the 132nd Empowered Committee held on 28.08.2017 and Sanctioned Letter is Issued on 27.09.17.

S. No	Name of Project	Sharin g Ratio	Unit	Unit Cost	Central Share	State Share	Total Cost	1st Installm ent	2 nd Installme nt to be released
	Block Ramgarh								
1	Construction of ACR Govt Sec & Sr Sec Schools(in 14 Schools)	60:40	26	10.05	156.78	104.52	261.30	78.39	78.39
2	Construction of ICT LAB Govt Aadarsh Sr Sec Schools	60:40	3	10.00	18.00	12.00	30.00	9.00	9.00
3	Construction of Vocational Education LAB(in 4 Schools)	60:40	8	14.53	69.74	46.50	116.24	34.87	34.87
	Block Tijara								
4	Construction of ACR Govt Sec & Sr Sec Schools(in 9 Schools)	60:40	44	10.05	265.32	176.88	442.20	132.66	132.66
5	Construction of ICT LAB Govt Aadarsh sr Sec Schools(in 4 Schools)	60:40	4	10.00	24.00	16.00	40.00	12.00	12.00
	Block Laxman	garh Bas							
9	Construction of Acr Govt Sec & Sr Sec Schools(in 15 Schools)		61	10.50	384.30	256.20	640.50	192.15	192.15



					977.01	651.35	1628.36	488.51	488.50
11	Construction of Vocational Education LAB(in 2 Schools)	60:40	4	14.53	34.87	23.25	58.12	17.44	17.43
, 10	Construction of ICT LAB Govt Aadarsh Sr Sec Schools(in 4 Schools)	60:40	4	10.00	24.00	16.00	40.00	12.00	12.00

रिक्ति स्वाप्त / RAVI SUNDER उप सचिव/Deputy Secretary अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय Ministry of Minority Affairs भारत सरकार/Good of India नई दिल्ली/Lag./ Deihi

Utilization of the above mentioned amount by the grantee is subject to the following terms and conditions:

- Grantee will maintain a separate account of the funds released by this Ministry under this scheme/programme.
- The expenditure incurred by the grantee shall be open for inspection by the ii. sanctioning authority/ Comptroller & Auditor General of India/Internal Audit by the Chief Controller of Accounts of the Ministry of Minority Affairs.
- The grantee will ensure that it has not obtained or applied for grants for the same iii. purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.
- Grantee shall not divert any part of the grant to any other activities. iv.
- Grantee shall be governed by all the terms and conditions of the grant as V. prescribed in the scheme/programme and in GFR.
- Grantee shall endeavor to achieve the quantified and qualitative targets. vi.
- Grantee will ensure that there is no duplication of work. vii.
- Grantee shall ensure that priority be given to villages/locations with substantial viii. percentage of minority population.

Annexure-III

Suggested template for display of information:

- 1. Emblem of Government of India/Name of Ministry or Department.
- 2. Project cost and break up of its funding viz. central share, state share, ULB share, beneficiary contribution etc.
- 3. Scheme under which the project has been taken (where applicable)
- 4. Date of starting the project.
- 5. Scheduled date of completion of the project.
- 6. Contact details of officers/implementing agency for further information or feedback with website.

सुन्दर / RAVI SUNDER राव सुन्दर/PANT SUNDER उप सचिव/Deputy Secretary अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय Ministry of Minority Affairs भारत सरकार/Govt. of India नई दिल्ली/New Delhi

उपयोग प्रमाण पत्र (2016-17)

परियोजना का नाम : बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्म , राजस्थान

बहुक्षेत्रीय विकास योजना से अनुमोदित वित्तीय सहायता : 943.87 लाख (अक्षरे नो करोड तियालीस लाख सत्यासी हजार रूपए) अब तक जारी राशि (विवरण निम्नलिखित क्रम में) :

क्रम संख्या	पत्र संख्या और तिथि	राशि
	ब्लॉक रामगढ जिला अलवर	लाख रूपए
	एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी-मोमादिनांक 27.09.20	7 191.26 लाख
	४६एसीआर (प्रार.)—६९.०० लाख	
	26 एसीआर (माध्य.) — 78.39 लार	a
	03 आईसीटी लेब - 09.00 लार	g de la companya de
	08 वोकेशनल लेब — 34:87 ला	ख
	सकल योग	191.26 লাভ

वर्तमान निर्मुक्ति/निर्मुक्तियां, जिसके लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:

26 एसीआर (माध्य.)	- 78.39	लाख	63.54
03 आईसीटी लेब	- 09.00	लाख	09.00
08 वोकेशनल लेब	- 34.8	7 लाख	34.87
	सकल योग-122.26	लाख	107.41 लाख

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2016—17 के दौरान दिनांक 27.09.2017 के पत्र सं. एफ न. एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी—मोमाअल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत ब्लॉक रामगढ (अलवर) में निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई 122.26 लाख रूपए {(शब्दो में) अक्षरे एक करोड बाइस लाख छब्बीस हजार रूपए }की राशि में से 107.41लाख रूपए {(शब्दो में) अक्षरे एक करोड सात लाख इकतालीस हजार रूपए }, उपयोग में लिये गये तथा शेष राशि के रूप में 14.85 लाख (शब्दो में) चोदह लाख पिच्वासी हजार रूपये}रही है राशि निम्नलिखित कार्यों के मद में उपयोग में लाई गई है:

(परियोजना का नाम) ब्लॉक रामगढ जिला अलवर में निर्माण कार्य

संघ तक कार्य मद	उपयोग में लाई गई राशि
संलग्न विवरण अनुसार	107.41 লাভ্র

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जिन शर्तो पर सहायता स्वीकृत की गई थी, मैं उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है और मैने निम्नलिखित बातों की जांच यह देखने के लिए कर लिया है कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी, उसी प्रयोजन में राशि का उपयोग हुआ है।

वे बाते, जिनकी जांच की गई:

- 1. खाता बही और बाउचर
- 2. मेजरमेंट बुक
- 3. सहायता अनुदान / ऋण पंजिका
- 4. व्यय पंजिका

दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार शेष 14.85 रू. उपयोग में लाए जाने के लिए अवशेष है :

विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर	अल्पसंख्यक कार्य से जुड़े विभाग के सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
ame/	
(कैलाश वैरवा)	(अपनी अरोरी)
निदेशक एवं संयुक्त रह्यासन सचिव	प्रमुख शोधन सचिव,
अल्पसंख्यक मामुलात विभाग, राजस्थान	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान
अहर चारपाक विश्वितात विभाग	तिथि
स्थानाराषुर	स्थान
कार्यालय की मुहर	कार्यालय की मुहर

पार्च महिला Deputy Georgian उप समिला Deputy मेनालय अल्पसंख्यक कार्य मेनालय अल्पसंख्यक कार्य मेनालय आinistry of Minority Affairs

उपयोग प्रमाण पत्र (2017-18)

परियोजना का नाम: जिला अलवर, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान बहुक्षेत्रीय विकास योजना से अनुमोदित वित्तीय सहायता : 943.87 लाख (अक्षरे नो करोड तियालीस लाख सत्तासी हजाररूपए) अब तक जारी राशि (विवरण निम्नलिखित क्रम में) :

क्रम संख्या	पत्र संख्या और तिथि		राशि	
	ब्लॉक तिजारा जिला अलवर		लाख रूपए	
	एमएसडीपी 13/274/2017एमएसडीपी	मोमा दिनांक 27.09.2017	163.2605 লাভ	
	37अति.कक्षाकक्ष प्रा.विद्या.	— 55.50 लाख		
	44 अति.कक्षाकक्ष मा.विद्या.	—132.66 লাख		
	04आईसीटी लेब —12.00 लाख			
	सकल योग		163.2605 लाख	

४४ अति,कक्षाकक्ष मा.विद्या.	-132.66 লাख	95.59 \
04आईसीटी लेब	—12.00 লাভ্ৰ	12.00
040(1३९(।८) राच		

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष <u>2017–18</u> के दौरान दिनांक 27.<u>09.201</u> के पत्र सं. एमएस**डी**पी 13/274/2017 एमएसडीपी मोमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत ब्लॉक तिजारा (अलवर) में निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई 144.66लाख रूपए {(शब्दो में) अक्षरे एक करोड चवालीस लाख छियासट हजाररूपए }की राशि में से 107.59 लाख रूपए {(शब्दों में) अक्षरे एक करोड सात लाख उनसठ हजार रूपए}, उपयोग में लिये गये तथा शेष राशि के रूप में 37.07 लाख{(शब्दो में) सैंतीस लाख सात हजार}रही है राशि निम्नलिखित कार्यों के मद में उपयोग में लाई गई है:

(परियोजना का नाम) ब्लॉक तिजारा (अलवर) में निर्माण कार्य

सकल योग-144.66 लाख

(पारपाठाना पर्य नान) स्तापर रिकास (कारा पर्	
संघ तक कार्य मद	उपयोग में लाई गई राशि
संलग्न विवरण अनुसार	107.59লাख

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मै इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जिन शर्ती पर सहायता स्वीकृत की गई थी, मैं उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है और मैने निम्नलिखित बातों की जांच यह देखने के लिए कर लिया है कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी, उसी प्रयोजन में राशि का उपयोग हुआ है।

वे बाते, जिनकी जांच की गई :

- 1. खाता वही और वाउचर
- 2. मेजरमेंट बुक
- 3. सहायता अनुदान / ऋण पंजिका
- 4. व्यय पंजिका

विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर	अल्पसंख्यक कार्य से जुडे विभाग के सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
anni	
(कैलाश बैरवा)	(अपूर्ण अरोज़)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव,
नल्पसंख्यक मामलीत विभाग, राजस्थान	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान
ितिथि नियम	तिथि
ाताथ	रथान
कार्यालय की मुहर	कार्यालय की मुहर

उप सचिव/Deputy Secretary उप साचवा Deputy Secretary अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय Ministry of Minority Affairs भारत सत्याद (Govt. of India

भारत का दिल्ली/NE

उपयोग प्रमाण पत्र (2016-17)

परियोजना का नाम: बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान

बहुक्षेत्रीय विकास योजना से अनुमोदित वित्तीय सहायता : 943.87 लाख (अक्षरे नो करोड तियालीस लाख सत्यासी हजार रूपए) अब तक जारी राशि (विवरण निम्नलिखित क्रम में) :

पत्र संख्या और तिथि		राशि
ब्लॉक लक्ष्मणगढ जिला अलवर		लाख रूपए
एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी-मोमादिनांक 27.09.2017		259.09 लाख
25 एसीआर (प्रार.)— 37.50 लाख		
61 एसीआर (माध्य.) — 192.1	ं लाख	
04 आईसीटी लेब — 12.00 लाख		
	4 लाख	
सकल योग-259.09 लाख		259.09 लाख
	ब्लॉक लक्ष्मणगढ जिला अलवर एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी—मोमादिनांक 27.09.2017 25 एसीआर (प्रार.)— 37.50 लाख 61 एसीआर (माध्य.) — 192.18 04 आईसीटी लेब — 12.00 लाख 04 वोकेशनल लेब — 17.4	पत्र संख्या आर तिथि ब्लॉक लक्ष्मणगढ जिला अलवर एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी—मोमादिनांक 27.09.2017 25 एसीआर (प्रार.)— 37.50 लाख 61 एसीआर (माध्य.) — 192.15 लाख 04 आईसीटी लेब — 12.00 लाख 04 वोकेशनल लेब — 17.44 लाख

वर्तमान निर्मुवित / निर्मुवितयां, जिसके लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:

25 एसीआर (प्रार.)— 37.50 लाख		0.00	
61 एसीआर (माध्यं.)	— 192.15 लाख	148.70	
04 आईसीटी लेब	— 12.00 लाख	12.00	122
04 वोकेशनल लेब	— 17.44 লাভ	17.44	1 - / 3 - 3
सकल योग-259.09 लाख		178.14 लाख	

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2016—17 के दौरान दिनांक 27.09.2017 के पत्र सं. एफ न. एमएसडीपी 13/274/2017/एमएसडीपी—मोमाअल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत ब्लॉक लक्ष्मणगढ (अलवर) में निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई 259.09लाख रूपए {(शब्दो में) अक्षरे दो करोड उनसठ लाख नो हजार रूपए }की राशि में से 178.14लाख रूपए {(शब्दो में) अक्षरे एक करोड अठहतर लाख चोदहहजार रूपए }, उपयोग में लिये गये तथा शेष राशि के रूप में 80.95 लाख {(शब्दो में) अस्सी लाख पिच्वानवे हजार रूपये}रही है राशि निम्नलिखित कार्यो के मद में उपयोग में लाई गई है:

(परियोजना का नाम) ब्लॉक रामगढ जिला अलवर में निर्माण कार्य

(4) Kalonii an inin wilan ki no tertin e	
संघ तक कार्य मद	उपयोग में लाई गई राशि
संलग्न विवरण अनुसार	178.14 লাভ

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जिन शर्तो पर सहायता स्वीकृत की गई थी, मैं उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है और मैंने निम्नलिखित बातों की जांच यह देखने के लिए कर लिया है कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी, उसी प्रयोजन में राशि का उपयोग हुआ है।

वे बाते, जिनकी जांच की गई:

- 1. खाता वही और बाउचर
- 2. मेजरमेंट बुक
- 3. सहायता अनुदान / ऋण पंजिका
- 4. व्यय पंजिका

दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 80.95 लाख रू. उपयोग में लाए जाने के लिए अवशेष है :

विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर	अल्पसंख्यक कार्य से जुड़े विभाग के सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
(कैलाश बैरवा)	(अपम्भे अर्थारा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात्वेशिशाग, राजस्थान	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान
तिथि	तिथि
स्थानात विश्वाग	स्थान
कार्यालय की मुहर	कार्यालय की मुहर

रिव सुन्दर / RAVI Socretary ज्य सचिव/ Deputy Secretary अल्पराज्या Ministry of Minority Arrairs Ministry of Minority Arrairs भारत सरकार/ Govt. of India भारत सरकार/ Mew Delhi मई दिल्ली/ New Delhi



Public Financial Management System-PFMS

D/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: A.K. Srivastava User Type: PD Financial Year: 2018-2019



[ak_mma] Logout Change Password

Help

AdhocReports			Sanction Detail
SchemeWiseContactDetails	Controller:	092-MINISTRY OF MINORITY	AFFAIRS

CAM Reports

Masters

Users

Sanctions

PreSanction

Sanction Custom Fields

Printing Templates

Sanction Templates Employee Info. System

Reports

Masters

My Schemes

Agencies

Scheme Allocation

Register/ Track Issue

Utilisation Certificate

OLD UC

Sanction	Details
Sanction	Decum

Sanction Number: 13/274/2017-MsDP-MoMA

Sanction Type: Transfer (Advice)

IFD Number: 37

9217-Development of Minorities - Multi Sectoral Development Programme for Minorities (MSDP) Scheme:

DDO: 292005-SECTION OFFICER(CASH), MIN. OF MINORITY AFFAIRS

Remarks: ok

Sanction Status: Approved

Sanction Amount:

IFD Date:

PAO:

Sanction Date: 20/03/2019

48850000

20/03/2019

092001-PAO, MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS, SHASTRI BAHWAN, NEW DELHI

Created On: 20/03/2019 03:42:53 PM

रवि सुन्दर / RAVI SUNDER
उप सचिव/ Deputy Secretary
उप सचिव/ Deputy Secretary
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs
भारत सरकार/Govt. of India
भारत सरकार/Govt. Delhi
नई दिल्ली/New Delhi

Modified On: 20/03/2019 03:43:16 PM

File Uploaded: alwar ii inst.pdf

Created By: ak_mma

Modified By: ak_mma

Account Details:

Grant	Department (For UT Grants Only)	Function Head	Object Head	Category	Amount	External PAO	Budget
066 - Ministry of Minority Affairs		3601061014900 - MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR MINORITIES	35 - GRANTS FOR CREATION OF CAPITAL ASSETS	5 - VOTED	48850000		966054980

Agency Details:

Adency Details.					Statistics.			Pavee Remarks	
Sr.No	Agency Name	City	District	State	Country	Gross Amount	Deduction Amount	Net Amount	Payee Remarks
1	RAJASTHAN	Govt.		RAJASTHAN	INDIA	48,850,000	0	48,850,000	
and and the	GOVT.							-0.0 A	

Sanction Approved Successfully But SMS has not been sent due to network issue.

Print Sanction Order Back

20-03-2019, 1: